# पंचम् विकास पत्रिका

**विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित**

वर्ष : 01 अंक : 10 अगस्त 2021 परस्पर संपर्क हेतु


# ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच

**विनोद चौधरी द्वारा**

आज उच्च और मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इंटरनेट की सुविधा ने सूचना, सरकारी कामकाज, मनोरंजन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र को न सिर्फ गति प्रदान की है, बल्कि इनको विस्तार भी दिया है। राशन खरीदना हो या बिजली का बिल जमा करना या फिर यात्रा टिकिट की बुकिंग ऐसे अनेक कार्य घर बैठे आसानी से हो जाते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा है और इंटरनेट सुविधा के उपयोग के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप घर बैठे केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं और सेवाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही डिजिटल इंडिया मुहिम ने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में भी देश की आबादी को अनेक प्रकार से राहत पहुंचाने का काम किया। यदि इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं का इतना विस्तार नहीं होता तो शायद लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था।

इंटरनेट सुविधा के तमाम फायदे होने के बावजूद हमारे देश में कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां आज भी इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है अथवा आर्थिक तंगी के कारण लोग ऐसा मोबाइल फोन ले पाने में असमर्थ हैं, जिस पर इंटरनेट सुविधा का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही इंटरनेट या ऑनलाइन व्यवस्थाओं के उपयोग के बारे में लोगों को जानकारी न होना भी एक बड़ी समस्या है। ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन व्यवस्थाओं का उपयोग न कर पाने वाले लोग केवल ग्रामीण इलाकों में हैं बल्कि शहरों में भी इनकी बहुत बड़ी आबादी है। ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग न कर पाने के कारण वे लोग जो ऑनलाइन सेवाओं का बहुत अच्छे से उपयोग करना जानते हैं और वे लोग जो इसके जानकार नहीं है, दोनों के बीच एक बड़ी खाई पैदा करती है। जानकारी न होने के कारण लोग कई प्रकार से शोषण का शिकार होते हैं। लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), एम.पी.ऑनलाइन जैसे माध्यम न सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत हैं बल्कि सरकार द्वारा इनके माध्यम से दी जाने वाली तमाम ऑनलाइन सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क भी निर्धारित है, फिर भी लोगों से तय शुल्क से अधिक पैसा लेने की खबरें आए दिन आते रहती है। हॉल ही में जब कोरोना महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ तो शुरूआती दौर में इसके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य था। पंजीयन न करा पाने के कारण न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी लोग परेशान नजर आए। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जिनके लाभ के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी न होने और स्थानीय स्तर पर कोई ऑनलाइन सेवा प्रदाता न होने के कारण कई किलोमीटर का सफर कर नजदीकी कस्बे या शहर जाना पड़ता है।

**इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया के मुताबिक, 2020 तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 62.2 करोड़ थी। इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में महाराष्ट्र, गोवा और केरल तीन राज्य सबसे आगे हैं, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीन सबसे फिसड्डी राज्य हैं। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।**

इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन व्यवस्था ने लोगों की जिंदगी बहुत आसान बना दी है। सरकारी कामकाज के तरीके में जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है जिनके पास इस व्यवस्था के उपयोग का कौशल नहीं है। इसके लिए गांव-गांव में इस संबंध में एक सूचना मित्र नियुक्त करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था के उपयोग के बारे में जागरूक कर सकता है तथा ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने में सहयोग कर सकता है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं के पास अपेक्षाकृत सस्ता मोबाइल फोन होना तथा बेटियों की अपेक्षा बेटों को समय से पहले और अपेक्षाकृत महंगे स्मार्टफोन दिलाना आम बात है। इसे भी बदलने की जरूरत है। इंटरनेट की उपलब्धता में लैंगिक और आय संबंधी बाधाओं को दूर करना होगा, तभी जाकर देश तथा यहां के नागरिकों को तकनीक के मामलों में आगे रखा जा सकता है।

## जानकारी

# इस बार योजना बनाने में किन बातों पर जोर

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 243 छ (क), पंचायतों को अपने पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की सहभागी ढंग से योजना बनाने की शक्ति प्रदान करती है। जिसके तहत हर साल गांव वालों की सहभागिता से स्थानीय समस्याओं के समाधान और जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाने और उसे लागू करने का काम किया जाता है। गांव के हर व्यक्ति चाहे वह अमीर हो गरीब, महिला हो या पुरूष सभी के पास एक अवसर होता है जब वह व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या के समाधान की बात योजना निर्माण दल के समक्ष और ग्राम सभा में रख सकता है।

वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना-जीपीडीपी) बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक ''सबकी योजना सबका विकास'' जन अभियान चलाने के दिशा-निर्देश पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस अभियान के तहत समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाकर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जानी है। इस अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय सीमा के साथ एक कैलेण्डर भी जारी किया गया है।

*( शेष पेज 2 पर )*

*पेज 1 का शेष*

## कार्य योजना निर्माण में रहेगा इन बातों पर विशेष ध्यान

- तीनों स्तर की पंचायतें योजना बनाने में सतत विकास के लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर इनसे संबंधित गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करेंगी।
- कार्ययोजना निर्माण में हर साल किया जाने वाला मिशन अंत्योदय सर्वे भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषयों की 140 संकेतांकों पर पंचायत की स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त होती है। इस वर्ष भी तीनों स्तर की पंचायतों की कार्ययोजना बनाने से पहले मिशन अंत्योदय सर्वे को पूरा कर, सर्वे से प्राप्त कमियों को दूर करने के लिए गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 60 प्रतिशत राशि का उपयोग जल संवर्धन, जल संरक्षण और पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए किया जाना है जो सतत विकास लक्ष्यों के छठवें नंबर के लक्ष्य ''सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना'' से संबंधित है, इस लक्ष्य को पाने से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता से कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
- तीनों स्तर की पंचायतों के मुख्य दायित्वों/कार्यों में शामिल सतत विकास लक्ष्यों जैसे - लक्ष्य-1 गरीबी दूर करना, लक्ष्य-2 कुपोषण, लक्ष्य-3 स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य-4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लक्ष्य-5 लैंगिक समानता आदि पर भी योजना बनाने में ध्यान रखा जाना है।
- पिछले साल म.प्र. राज्य आजीविका मिशन के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा वार्ड स्तर पर बनायी जाने वाली गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना जिसमें आजीविका मूलक और विभिन्न हितग्राही मूलक कार्यों को ग्राम सभा में प्रस्तुत कर वार्षिक कार्ययोजना में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना है।

वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्ययोजना सतत विकास लक्ष्यों को केन्द्र में रखते हुए बनायी जाएगी साथ ही मिशन अंत्योदय सर्वे, गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना तथा विभागीय योजनाओं को शामिल कर क्षेत्र एवं वहां रहने वाले हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार की जावेगी। जीपीडीपी निर्माण से संबंधित गतिविधियों के आयोजन में हर स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी सख्ती से किया जाना है।

### सतत विकास लक्ष्य

**''सतत विकास'' का मतलब ऐसे विकास से है जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अनुमोदित सतत विकास लक्ष्य एजेंडे के तहत 17 मुख्य लक्ष्य तथा 169 सहायक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य अधिक संपन्न, समतावादी तथा सुरक्षित भविष्य के निर्माण के लिए 2030 तक भुखमरी, गरीबी और लैंगिक विषमता को शून्य स्तर तक लाना और बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी नागरिकों की समान पहुंच को सुनिश्चित करना है। भारत सहित 193 देशों द्वारा सतत विकास की अवधारणा को अपने देश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।**

**गतिविधियों के लिए समय सीमा कैलेण्डर**

| क्र | गतिविधियां | समय सीमा दिनांक | जिम्मेदारी |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी का नामंकन तथा जीपीडीपी पोर्टल पर दर्ज करना | 31 अगस्त 2021 | पंचायतराज संचालनालय, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत |
| 2 | सहजकर्ता और हित धारकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार करना | 31 अगस्त 2021 | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान |
| 3 | सहजकर्ता का चयन और जीपीडीपी पोर्टल पर दर्ज करना | 05 सितम्बर 2021 | जिला पंचायत, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत |
| 4 | सहजकर्ता और अन्य हित धारकों के प्रशिक्षण की शुरूआत | 05 सितम्बर 2021 | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/जल और भूमि प्रबंधन संस्थान/ ईटीसी/पीटीसी |
| 5 | राज्य, जिला और विकासखंड स्तरीय अभियान से संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण | 10 सितम्बर 2021 | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/जल और भूमि प्रबंधन संस्थान/ईटीसी/ पीटीसी |
| 6 | ग्राम सभा बैठक की तारीख तय कर जीपीडीपी पोर्टल पर दर्ज करना | 20 सितम्बर 2021 | जिला पंचायत, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत |
| 7 | जनसूचना बोर्ड को प्रदर्शित करना | 30 अक्टूबर 2021 | जिला पंचायत, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत |
| 8 | सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए जीपीडीपी तैयार करने के संबंध में 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन | 15 सितम्बर से 30 अक्टूबर 2021 तक | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/जल और भूमि प्रबंधन संस्थान/ईटीसी/ पीटीसी |
| 9 | अनुमोदित कार्य योजना - ग्राम पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। | 31 जनवरी 2022 | जिला पंचायत, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत |

# खेती में फसल चक्र का महत्व

**विनोद चौधरी द्वारा**

प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए कई प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। उगायी जाने वाली ये फसलें मौसम के अनुसार अलग-अलग होती हैं। शुरू से ही एक खेत में एक ही फसल न उगाकर फसलें बदल-बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है। परन्तु इस परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार न होकर सामान्य जरूरतों के अनुसार चली आ रही थी। परन्तु आज नये-नये अनुभव एवं खोजों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने पर उपज में कमी आ जाती है। फसलों की अच्छी उपज लेने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।

विभिन्न फसलों को किसी निश्चित जमीन पर, निश्चित क्रम से, किसी निश्चित समय में बुवाई को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पौधों के उपयोग के लिए जमीन में पोषक तत्वों की भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलन बनाए रखना है। फसल चक्र अपनाने से किसानों को फसल में आने वाली कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमि से लगातार अच्छी पैदावार ले सकते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाकर भी रख सकते हैं।

लगातार एक ही फसल को उगाने से फसल की उपज कम हो जाती है और बीज और मिट्टी जनित रोग भी बढ़ जाते हैं, जिससे जमीन में विषैले गुण आ जाते हैं। जमीन में विषैले गुण उत्पन्न हो जाने पर, मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे-छोटे और उपयोगी मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे जमीन में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी खेत में

खरीफ सीजन में लगातार मक्का की फसल लगाने से जमीन में उन तत्वों की कमी हो जाएगी जो मक्का के पौधों द्वारा लिए जाते हैं, साथ ही मक्का फसल पर होने वाली बीमारियों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए किसी जमीन पर एक-दो बार मक्का की फसल लगाने के बाद उसमें दलहनी या तिलहनी फसल जैसे - चना, तुवर, मूंग, उड़द, मूंगफली की बुवाई की जा सकती है।

## फसल चक्र के फायदे

खेती में फसल चक्र अपनाने से जमीन और फसल दोनों में कई तरह के फायदे होते हैं -

1. भूमि उपजाऊ बनी रहती है।
2. मिट्टी के अम्लीय-क्षारीय गुण, पोषक तत्व और जैविक पदार्थों की मात्रा संतुलित रहती है।
3. फसल में कई तरह के कीड़े और बीज से होने वाले रोगों की रोकथाम होती है।
4. फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों अच्छी मिलती है।
5. रासायनिक खाद की कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, जिससे मिट्टी प्रदूषित होने से बचती है।
6. फसलों में बीमारियां कम लगने से रासायनिक दवाई का खर्चा कम हो जाता है और दूसरे नुकसान कम हो जाते हैं।
7. फसल चक्र में फली वाली फसलों की बुवाई से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिल जाती है।
8. बार-बार या अधिक गुड़ाई वाली फसलों की बुवाई से खरपतवार में कमी आती है।

## फसल चक्र के तरीके

फसल चक्र में सामान्यत:फसलों को अदल-बदल कर बोया जाता है, फसल चक्र को अपनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए -

1. अधिक पोषक तत्व लेने वाली फसलों की खेती के बाद, खेत को एक सीजन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए।
2. किसी खेत में, किसी फसल पर विशेष रोग लगने पर, उस फसल को नहीं लगाना चाहिए।
3. जिन फसलों की जड़ें अधिक गरहाई तक जाती हैं, उन्हें उगाने के बाद उन फसलों को लगाना चाहिए जिनकी जड़ें कम गहराई में जाती हो।
4. अनाज वाली फसलों को उगाने के बाद दो से तीन साल में एक बार दलहनी फसल जरूर लगाना चाहिए।
5. अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बाद कम गुड़ाई की जरूरत वाली फसलों को उगाना चाहिए।
6. धान जैसी अधिक सिंचाई वाली फसलों के बाद कम सिंचाई वाली फसल लगाना चाहिए।
7. अधिक उर्वरक की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम उर्वरक की आवश्यकता वाली फसलों को लगाना चाहिए।

## फसल चक्र के प्रकार

फसलों की श्रेणी अनुसार फसल चक्र भी कई तरह का हो सकता है

| क्र | फसल चक्र के प्रकार | अपनाए जा सकने वाले फसल चक्र |
|---|---|---|
| 1 | परती (जमीन को एक सीजन खाली छोड़ना) पर आधारित | परती-गेहूं, परती-सरसों, परती-आलू, परती-धान |
| 2 | हरी खाद आधारित | हरी खाद-गेहूं, हरी खाद-केला, हरी खाद-आलू, हरी खाद-धान, हरी खाद-गन्ना |
| 3 | दाल वाली फसल आधारित | मूंग-गेहूं, मूंगफली-अरहर, धान-चना, बाजरा-चना, मूंग-गेहूं, धान-चना, कपास-मटर-गेहूं, ज्वार-चना, बाजरा-चना, धान-मटर, धान-मटर-गन्ना, मूंगफली-अरहर-गन्ना, मसूर-मेंथा, मटर-मेंथा |
| 4 | अनाज आधारित | मक्का-गेहूं, धान-गेहूं, गन्ना-गेहूं, चना-गेहूं, मक्का-जौ, ज्वार-गेहूं, बाजरा-गेहूं, धान-बरसीम, मक्का-उड़द-गेहूं |
| 5 | सब्जी फसल आधारित | टिंडा-आलू-मूली, शलजम-भिंडी-गाजर, भिंडी-मटर, पालक-टमाटर, फूलगोभी-मूली, धान-आलू-टमाटर, बंदगोभी-मूली, बैंगन-लौकी, धान-लसहसुन-मिर्च, धान-आलू-लौकी |

## पंचायत और विकास समाचार

# क्या पढ़ें? कहां पढ़ें?

कौशल्या मरावी द्वारा

हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन सभी को एक जैसी सफलता मिले ये जरूरी नहीं। देखा यह गया है कि वही लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, जो सही समय पर सही फैसले लेते हैं। इस बात को छात्रों के नजरिए से देखें तो कक्षा 10 और 12वीं पास करने के बाद हर छात्र को तय करना होता है कि, आगे की पढ़ाई हेतु वे किस विषय और किस क्षेत्र का चुनाव करें। जिन घरों में बच्चों के माता-पिता या भाई-बहिन, रिश्तेदार पढ़े-लिखे होते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाता है। परन्तु दूरदराज गांवों में रहने वाले बच्चों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। उचित मार्गदर्शन के अभाव में उन्हें यह तय करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि, अपनी रोजी-रोटी कमा सकें इसके लिए किस विषय की पढ़ाई करें।

समर्थन संस्था डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिये ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। स्थानीय स्वशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़े इसके लिए परियोजना के तहत युवाओं के साथ भी समय-समय पर बैठक और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान समर्थन संस्था के कार्यकर्ताओं ने जब कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 में पढ़ने वाले युवाओं से पूछा कि आप किस क्षेत्र में अपना केरियर बनाना चाहते हैं और इसके लिये किस विषय में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अधिकांश युवा इसको लेकर भ्रमित नजर आए। समनापुर ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है और इस क्षेत्र में बच्चों के माता-पिता या तो साक्षर नहीं हैं या उनकी पढ़ाई का स्तर इतना नहीं है कि वे अपने बच्चों को सही विषय और केरियर चुनने में मदद कर पाएं। संस्था के कार्यकर्ताओं को बच्चों की केरियर काउंसलिंग की जरूरत बिल्कुल स्पष्ट दिखायी दे रही थी।

### केरियर काउंसलिंग को लेकर ग्राम संगठन की बैठकों में चर्चा

समनापुर संकुल में महिला ग्राम संगठनों की बैठकों में चर्चा कर जाना गया कि उनके घर से कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं में पढ़ रहे बच्चे आगे किस विषय या क्षेत्र में पढ़ायी करना चाहते हैं। दीदियों के बच्चों को बुलाकर, उनसे भी यही सवाल पूछा गया। परन्तु न तो बच्चे और न ही दीदियां इस संबंध में कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब दे पायीं। मौजूदा स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि, कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की केरियर काउंसलिंग किया जाना बेहद जरूरी है।

### केरियर काउंसलिंग का आयोजन

युवाओं की जरूरतों को देखते हुए समर्थन संस्था के कार्यकर्ताओं ने, केरियर काउंसलिंग के आयोजन की योजना बनायी। युवाओं और ग्राम संगठन की दीदियों से चर्चा के बाद समनापुर संकुल के दो सब संकुलों मझगांव और पड़रिया में कायर्क्रम का आयोजन किया जाना तय किया गया। युवाओं और ग्राम संगठन की दीदियों ने सभी युवाओं और युवतियों को इस संबंध में सूचना देने की जिम्मदारी आगे आकर ली। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम यह था कि काउंसलिंग के लिये रिसोर्स पर्सन या जानकारी देने वाले कौन होंगे, जो नि:शुल्क अपनी सेवा दे सकें। इसके लिए महाविद्यालय के प्रोफेसर, हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक, क्षेत्र के उच्च शिक्षा प्राप्त या अध्ययनरत युवा, अन्य शासकीय पदों पर पदस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों से बात की गई। फलस्वरूप बहुत से लोग इस नेक काम में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए। रिसोर्स पर्सनों के द्वारा निम्न बिंदुओं पर युवाओं का मार्गदर्शन किया गया -

- पढ़ाई के लिए सही विषय का चुनाव
- विषयवार रोजगार के क्षेत्र और संभावनाएं
- खेल के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं
- उच्च शिक्षा हेतु शासन की योजनाओं की जानकारी
- काम्पटीशन एक्जाम की तैयारी
- रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर समझ

13 जुलाई को मझगांव और 15 जुलाई को पड़रिया में आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों में 12 गांव के कुल 56 युवाओं ने केरियर काउंसलिंग का लाभ प्राप्त किया। काउंसलिंग के बाद युवाओं ने बताया कि आज हमें बहुत सी ऐसी उपयोगी जानकारियां मिली जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। दी गई जानकारियों ने युवाओं में शिक्षा के प्रति नया उत्साह पैदा किया, उनकी अपेक्षा है कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, ताकि हमें उचित मार्गदर्शन मिल सके।

कार्यक्रम के आयोजन में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किया गया तथा प्रतिभागियों को संस्था की ओर से मास्क, पेन और राइटिंग पैड दिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफ़ेसर कमल कृष्ण कुमार बेलिया (मेकलसुता महाविद्यालय), श्री धीरज नागेश (हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर), डॉ. उग्रसेन नागेश (ग्राम बिझोरी), श्री धनेश्वर सिंह मरावी, सह कार्यालय सहायक/ पीएचडी अपीयरिंग (जनपद पंचायत करंजिया), डॉ दिग्विजय सिंह मरावी (सीएचसी मवई) और प्रोफ़ेसर डॉ आरती काछी (शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय) ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

# कभी स्कूल नहीं गई पर...

नेहा छाबड़ा द्वारा

**यह कहानी एक ऐसी आदिवासी महिला की है, जिसने कभी स्कूल की चौखट पर कदम नहीं रखा लेकिन मेहनत और लगन से 57 साल की उम्र में न सिर्फ अपने को शिक्षित बनाया बल्कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान स्कूल बंद हो जाने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए अपने घर पर, लर्निंग सेंटर खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया।**

झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लाक के गाँव बडलीपाडा में रहने वाली माताओं ने साबित कर दिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस मन में सीखने का भाव होना चाहिए। पेटलावद ब्लाक में मिशन अन्त्योदय के तहत ऐड-एट-एक्शन संस्था ट्रान्सफार्मिंग रूरल इण्डिया फाउनडेशन (TRIF) की सहयोगी संस्था के रूप में पालक, बालक, समुदाय और शिक्षा तंत्र के बीच तालमेल बनाकर शिक्षा के आयामों को मजबूत करने में सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए स्व सहायता समूह के सदस्यों का जब परियोजना टीम ने प्रशिक्षण किया तो कुछ बहनें ऐसी निकलकर आयी जिन्होंने कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ और पंचायत के कार्यों में बदलाव दीदी के रूप में निःशुल्क सहयोग करेंगे। दरअसल परियोजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वशासन के मुद्दे पर किए जा रहे काम परियोजना की समयावधि पूरी होने के बाद भी चलते रहें, इसके लिये पंचायत में सक्रिय महिला सदस्यों का चुनाव कर उन्हें बदलाव दीदी के रूप में तैयार किया जा रहा है। जो महिलाएं आगे निकलकर आयी उनमें से 57 वर्षीय झागुड़ी दीदी भी एक थीं। उनके परिवार में पति के अलावा दो लड़के और एक लड़की है। सभी की शादियाँ हो चुकी है, वर्तमान में वह दोनों लड़कों और बहुओं के साथ रहती हैं। झागुड़ी दीदी ने शिक्षा से संबंधित कार्यों में मदद करने की बात कही।

ब्लॉक में शिक्षा के मुद्दे पर काम करने के लिए चुनी गई बदलाव दीदियों का जब पहला प्रशिक्षण आयोजित हुआ तो झागुड़ी दीदी भी लम्बा घूंघट लिए, प्रशिक्षण में शामिल हुईं। जब झागुड़ी दीदी से उनके गांव के सपने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'मुझे पढ़ना-लिखना नहीं आता, मैंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा गांव विकास करे, गांव में हर सुविधा हो, सबके पास काम हो और पूरा गांव सुखी रहे'। प्रशिक्षण में जब झागुड़ी दीदी को पता चला कि उन्हें स्कूलों में भी जाना होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चाहती हूं कि मेरे गांव का हर बच्चा स्कूल जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन मुझ अनपढ़ की बात स्कूल में कोई सुनेगा? तब उन्हें बताया गया कि आप अकेली नहीं है, समूह और ग्राम संगठन के सदस्यों की सामूहिक ताकत आपके साथ है। इसके अलावा एड-एट-एक्शन संस्था के कार्यकर्ता भी आपकी मदद करेंगे। यह बात सुनने के बाद झागुड़ी दीदी की हिम्मत बढ़ गई और उन्हें स्वयं पर भरोसा हो गया कि मैं इस भूमिका को अवश्य निभा लूंगी।

झागुडी दीदी ने जब स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से बात की तो उन्होंने कहा कि 'हम तो बच्चों के माता-पिता को बोल-बोल कर थक गए, जब बच्चे नहीं आएंगे तो हम किसको पढ़ायेंगे? पहली बार शिक्षकों से बात करने में झागुड़ी दीदी को झिझक हो रही थी, फिर भी उन्होंने प्रशिक्षण में जो सीखा था जितना बन पड़ा, शिक्षकों से बात की। इसके बाद एड-एट-एक्शन संस्था के कार्यकर्ता ने शिक्षकों से बात कर उन्हें स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झागुड़ी दीदी और उनके साथी सदस्यों के सहयोग के लिए राजी किया। गांव में बच्चों का नियमित स्कूल न आना बहुत बड़ी समस्या थी। शिक्षकों ने झागुड़ी दीदी से सभी बच्चों के रोज स्कूल आने में सहयोग करने की बात कही। झागुडी दीदी ने घर-घर जाकर बच्चों के माता-पिता से बात कर, बच्चों को रोज स्कूल भेजने के लिए निवेदन किया। कुछ ही दिन में स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई और अधिकांश बच्चे रोज स्कूल आने लगे। बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने में पूरी मेहनत करने लगे। शिक्षकों की नजरों में झागुड़ी दीदी के प्रति सम्मान बढ़ गया, वह जब भी स्कूल जाती शिक्षक उन्हें सम्मान के साथ बैठाने लगे।

झागुड़ी दीदी ने गांव में एड-एट-एक्शन संस्था द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए माता समिति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। माता समिति की कोशिश से बाल संसद और बालसभा का नियमित आयोजन संभव हुआ। शिक्षक दिवस पर माता समिति और झागुड़ी दीदी ने गाँव वालों के साथ मिलकर शिक्षकों का सम्मान किया। दिवाली पर गाँव के स्कूल में दिए भी जलाए। शिक्षक भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी 26 जनवरी के कार्यक्रम में झागुड़ी दीदी और उनके साथियों को ग्राम वासियों की मौजूदगी में सम्मानित किया।

कोरोना महामारी के समय बच्चों को राशन बाँटना हो या किताब सभी में झागुड़ी दीदी के नेतृत्व में माता समिति ने शिक्षकों को पूरा सहयोग किया। एड-एट-एक्शन संस्था द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से झागुड़ी दीदी ने खेल और कविता के माध्यम से अक्षर ज्ञान और गिनती करना सीखा। जब कोरोना के कारण स्कूल नहीं लग रहे थे तो झागुड़ी दीदी ने खुद अपने घर लर्निंग सेंटर खोलकर बच्चों की पढ़ाई शुरू की। जब शिक्षकों को यह बात पता लगी तो वे भी बच्चों को पढ़ाने आने लगे। कभी अपने को अनपढ़ कहने वाली झागुड़ी दीदी आज बच्चों को 50 तक गिनती, 2 तक का पहाड़ा और अंकों को जोड़ना-घटाना और अक्षर पहचान करा सकती हैं। झागुडी दीदी एक पुस्तकालय का संचालन भी कर रही हैं जिसमें चित्रों के माध्यम से वो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। उनकी एक आवाज पर गांव के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। झागुड़ी दीदी कहती हैं कि मुझे बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ रहने में बहुत आनंद आता है। बचपन में पढ़ने की इच्छा थी जो पारिवारिक कारणों से पूरी नहीं हो पायी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो रही है।

पेटलावाद ब्लॉक में झागुड़ी दीदी जैसी 13 अन्य दीदियों ने अलग-अलग गांवों में लर्निंग सेंटर खोलकर कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। ये सभी दीदियां महिला ग्राम संगठन के तेरह उद्देश्यों में से सातवें उद्देश्य 'समय अनुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन' को पाने की कोशिश कर रही हैं।

# कैसे मिली पति की मृत्यु पर अनुग्रह राशि

दिलीप काग द्वारा

पुवासा गांव, अलीराजपुर जिले के सोंडवा ब्लॉक की सिलोटा ग्राम पंचायत में आता है। विकासखंड मुख्यालय से इस गांव की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। पुवासा गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों से चुनी गई सक्रिय सदस्यों की मदद से राधा ग्राम संगठन बनाया गया है। सोंडवा ब्लॉक में समर्थन संस्था द्वारा ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। समर्थन संस्था द्वारा हर गांव में स्वशासन के मुद्दे पर काम करने के लिए ग्राम संगठन से एक सक्रिय महिला सदस्य को बदलाव दीदी के रूप में चुना गया है। पुवासा गांव में बिला पति रुसान को बदलाव दीदी चुना गया है। बदलाव दीदी स्वशासन से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों को जागरूक कर पाएं और लोगों की मदद कर पाएं इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था, योजना निर्माण और क्रियान्वयन के अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी पर उनकी लगातार क्षमतावृद्धि की जा रही है।

बदलाव दीदी घर-घर संपर्क कर जो लोग जानकारी के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उन्हें जानकारी प्रदान करती हैं तथा लाभ दिलाने में मदद करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी बदलाव दीदियों

ने बीमारी से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने और सरकार द्वारा घोषित राहत योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

कोरोना की दूसरी लहर ने देश के ग्रामीण इलाकों में भी भारी तबाही मचाई। महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन से उन गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया जिनकी आजीविका मजदूरी पर आश्रित थी। कई लोग कोरोना महामारी के संक्रमण का शिकार

हुए और कई परिवारों ने इस महामारी में अपनों को खोया। अपनों को खोने का दुःख तो सभी को था, लेकिन यह पीड़ा उन परिवारों के लिए और भी कष्टकारी थी जिन्होंने परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति को खोया। ऐसे परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया।

महामारी में जान गंवाने वाले उन व्यक्तियों को जो सरकार द्वारा संचालित संबल योजना और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत सदस्य, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लाभार्थी थे, परिवार के सदस्यों या नामिनी को अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता थी। लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग अनुग्रह राशि के लाभ हेतु आवेदन ही नहीं कर रहे थे। ऐसा ही एक मामला पुवासा गांव में सामने आया। इस गांव के 37 वर्षीय प्रेमसिंह की 1 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई। प्रेमसिंह की पत्नी और 6 बच्चों पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमसिंह संबल योजना के लाभार्थी के रूप में पंजीबद्ध था, लेकिन उसकी पत्नी एवं बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि संबल योजना में पंजीबद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 2 लाख रूपए की अनुग्रह राशि मिलती है। जब यह बात गांव में बदलाव दीदी का काम कर रही बिला दीदी को मालूम हुई तो उन्होंने इसके बारे में समर्थन संस्था के कार्यकर्ता राजू कलेश को बताया।

राजू कलेश और बदलाव दीदी ने प्रेमसिंह की पत्नी से मिलकर उन्हें अनुग्रह राशि के बारे में बताया और आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई को पंचायत में आवेदन कराया। पंचायत ने आवेदन को स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत को भेजा, जहां से 14 जून को आवेदन स्वीकृत होने पर प्रेमसिंह के परिवार को 2 लाख रूपए की अनुग्रह राशि जारी कर दी गई। यह राशि मृत प्रेमसिंह को तो वापस नहीं ला सकती लेकिन उसके परिवार को मुसीबत की इस घड़ी में मदद अवश्य करेगी।

# कैसे बना जनभागीदारी से 2 लाख का तालाब

## पहले भी जनभागीदारी से गांव में हो चुके हैं लाखों के विकास कार्य

गांव के सरपंच घनश्याम गजपाल ने बताया कि गांव वाले, गांव के विकास कार्यों में पहले से ही योगदान करते आ रहे हैं। गांव में जनभागीदारी से लाखों रूपए के कार्य करवाए जा चुके हैं। लगभग 15 साल पहले सवा लाख रूपए की लागत से सार्वजनिक मंच भी जनभागीदारी से बनाया गया है। इसी प्रकार शीतला मंदिर से लगकर लगभग 2 लाख रूपए की लागत से दो कमरे भी जनभागीदारी से बनवाए गए हैं। जनभागीदारी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले के करगाडीह गांव के रहवासियों ने जनभागीदारी की आदर्श मिशाल पेश की है। यहां के गांव वालों ने जनभागीदारी से 2 लाख रूपए से अधिक की राशि इकट्ठी की और गांव के निस्तारी तालाब को सुरक्षित बनाने के लिए, टोवाल के साथ-साथ पचरी या सीढ़ी का निर्माण भी कराया। टोवाल बनने से तालाब के पाल की मिट्टी को धसकने या बारिश में बहकर वापस तालाब में जाने से रोका जा सकेगा। जिससे लम्बे समय तक तालाब की जल भराव क्षमता बनी रहेगी। सीढ़ी बन जाने से लोगों को तालाब के निस्तार में सुविधा होगी। करगाडीह गांव के लोग पंचायत के साथ गांव के विकास के लिए कदम ताल कर रहे हैं। जनभागीदारी से गांव में अब तक साढ़े पांच लाख रूपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्य कराए जा चुके हैं।

लगभग 1300 की आबादी वाले करगाडीह गांव के शीतला तालाब में मनरेगा के तहत शासन द्वारा 16 लाख रूपए खर्च कर तालाब का गहरीकरण किया गया। तब ग्रामीणों ने तालाब गहरीकरण से निकली मिट्टी धसक कर तालाब में न पटने पाए इसके लिए टोवाल की मांग रखी। जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों ने गांव वालों को बताया कि इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि में इसका प्रावधान नहीं है। यह जानकारी मिलने पर गांव वालों ने आपस में ही जनभागीदारी से राशि एकत्रित कर टोवाल निर्माण और सीढ़ी बनवाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने अपने निर्णय को मूर्त रूप देने बढ़-चढ़कर भागीदारी दी और 2 लाख रूपए से अधिक की राशि इकट्ठा हो गई। इसमें मुख्य रूप से गांव में रहने वाले सेवानिवृत प्राचार्य खिलावन साहू ने 51 हजार रूपए, उप सरपंच संतोष सोनवानी ने 21000, गांव के सरपंच घनश्याम गजपाल के पिता विकल सिंह गजपाल ने 10000, टहल देवांगन ने 9000, किशोर गजपाल और कांति गजपाल ने 5551, रामसिंग सोनबेर ने 5000, गुंजेश्वरी राजपाल ने 1000 रूपए की सहयोग राशि दान की। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी क्षमता अनुसार गांव के तालाब को सुरक्षित बनाने के लिए राशि दान करी। यही नहीं गांव के विभिन्न संगठनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इनमें सतनामी समाज करगाडीह गांव की ओर से 5100, दीप किरण मानस मंडली 1111, बाल रामायण मानस मंडली 1111, शीतल शक्ति मानस मंडली 1100 रूपए की राशि दान की गई। वहीं इस कार्य में काम करने वाले मजूदरों व अन्य लोगों ने भी मामूली मजदूरी लेकर ग्राम विकास के लिए योगदान दिया। गांव वालों के मुताबिक गांव में और एक छोटा तालाब है, मगर यह तालाब जल्दी सूख जाता है और ज्यादातर गांव वालों का शीतला तालाब से ही निस्तार होता है, इसलिए इस तालाब को सुरक्षित करना बेहद जरूरी था।

सरकारी योजनाओं से किये जाने वाले विकास कार्यों में यदि स्थानीय लोगों की श्रम या नगद राशि के रूप में भागीदारी जुड़ जाए तो कार्य की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। साथ ही कराए गए काम के प्रति स्थानीय लोगों में स्वामित्व की भावना भी आ जाती है। जिससे वे इस कार्य को अपना समझने लगते हैं और उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाते हैं।

## कोविड-19 राहत योजना

कोरोना महामारी ने कई परिवारों से उनके सगे संबंधियों को हमेशा के लिए छीन लिया। उस परिवार के दु:ख की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसने अपने घर के कमाने वाले मुख्य सदस्य को इस महामारी में खोया है। महामारी में जान गंवाने वालों में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो किसी शासकीय सेवा में कार्यरत थे। कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम ने ऐसे प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना शुरू की है। इसका लाभ बीमित कर्मचारी की कोविड-19 से मौत होने के बाद परिवार को मिलेगा। योजना के तहत कोविड-19 से जिन बीमित कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिवार को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृतक

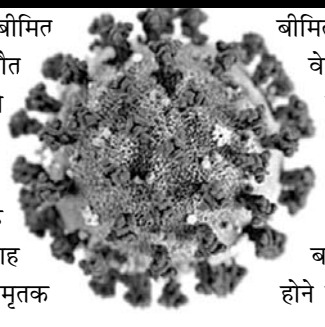

बीमित कर्मचारी को प्राप्त औसत वेतन मजदूरी की 90 प्रतिशत दर से उसके आश्रितों को भुगतान किया जाएगा।

मृतक के पति या पत्नी एवं विधवा मां को जीवन भर और बच्चों को 25 साल की उम्र पूरी होने तक कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत हिस्से के बराबर पेंशन दी जाएगी। अविवाहित पुत्री या दिव्यांग पुत्र-पुत्री को भी आनुपातिक रूप से जीवन भर लाभ दिया जाएगा।

मृत बीमित के आश्रितजन कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम की किसी भी शाखा में या शाखा कार्यालय सह औषधालय में सीधा आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यह योजना 24 मार्च 2020 से लेकर आगामी 2 साल के लिए लागू की गई है।

# जल ही जीवन है

नारायण परमार द्वारा

जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ जल भी एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। यदि हम कहें कि जल नहीं तो जीवन नहीं, तो यह गलत नहीं होगा। इस धरती पर अपने को जिंदा रखने के लिये इंसानों के साथ-साथ हर जीव जन्तु, वनस्पित, पेड़-पौधों को पानी बहुत जरूरी है। अकबर के नवरत्नों में से एक कहे जाने वाले रहीम जी ने अपने एक दोहे में पानी की महिमा का गुणगान भी किया है। उन्होंने कहा *''रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।''*

रहीम ने इस दोहे में पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। रहीम कहते हैं कि जिस तरह बिना पानी के ऑटे का कोई मोल नहीं, क्योंकि बिना पानी के ऑटे से रोटियां नहीं बनायी जा सकती और मोती का मूल्य उसकी चमक (पानी) के बिना नहीं इसी तरह जिस मनुष्य के व्यवहार में पानी (विनम्रता) न हो उसका जीवन बेकार है।

मनुष्य को जिंदा रहने, विकास करने सहित कई और जरूरतों के लिए पानी जरूरी है। लेकिन आधुनिक युग में जल संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से दुनिया के सामने जल संकट गहरा गया है। दुनिया की कुल मानव आबादी में से 18 प्रतिशत लोग और पशुओं की कुल आबादी में से 15 प्रतिशत मवेशी भारत में रहते है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि दुनिया की कुल जमीन में से 2 प्रतिशत जमीन और 4 प्रतिशत मीठे पानी के जल स्रोत ही हमारे पास हैं।

देश की आबादी लगातार बढ रही है और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी होता जा रहा है। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे - कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन, अधोसंरचना विकास आदि में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। पानी की मांग बढ़ रही है लेकिन हमारे पास पानी के स्त्रोत सीमित हैं, मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण जल संकट गहरा रहा है। जल आपूर्ति के लिए जमीन के अंदर मौजूद जल का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप भू-जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अल्पवर्षा और जल भंडारण संरचनाओं की कमी और कुप्रबंधन के कारण पानी की कमी के साथ-साथ जल प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

देश आजाद होने से पहले, भारत की आबादी कम थी, उद्योग कम थे और कृषि में भी पानी का उपयोग कम था। उस समय की जल प्रबंधन व्यवस्था और जल भंडारण संरचनाएं मौजूदा आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही स्थानीय समुदाय अपने परंपारिक ज्ञान और विवेक का उपयोग कर स्वयं जल प्रबंधन करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये जाने जाते थे।

आजादी के बाद सरकार द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की अवधि में सभी गांवों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1954 में राष्ट्रीय जल आपूर्ति की शुरूआत की गई। राज्य सरकारों ने ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम लागू किये।

वर्ष 1972 में 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के रूप में भारत सरकार ने 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' के माध्यम से राज्यों को पेयजल के क्षेत्र मे सहयोग करना प्रारंभ किया। तब से लेकर आज तक भारत सरकार गांव में रहने वाले हर परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये राज्यों के द्वारा किये जा रहे प्रयासों में लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग कर, ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाओं को दुरूस्त बनाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, 2017 के तहत सभी परिवारों को जहां तक संभव हो, उनके परिसर के भीतर ही, उनके प्रयोग के लिये स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

### जल जीवन मिशन के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति लगभग 18 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक पहुंचाना है।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी, इस परियोजना पर लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
- 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से 100 प्रतिशत घरों में प्रति दिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- योजना के तहत तैयार की जाने वाली अधोसंरचनाओं के निर्माण में कुल लागत की 5 से 10 प्रतिशत राशि समुदाय से जुटाई जाएगी।
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में नल कनेक्शन कर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- नल-जल व्यवस्था सही से काम करे इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- स्थानीय समुदाय में नगद, वस्तु, या श्रमदान के माध्यम से स्वैच्छिक अपनत्व को बढ़ावा देना।
- जल स्रोत, जल आपूर्ति अधोसंरचनाओं के रखरखाव और नियमित संचालन हेतु धन राशि की व्यवस्था बनाना।
- निर्माण कार्य, प्लम्बरिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जल स्रोतों के रखरखाव एवं संचालन से जुड़ी अल्प कालिक और दीर्घ कालिक मांगों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन तैयार करना।
- सुरक्षित पेजयल के विभिन्न पहलुओं और महत्व पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना और इस मुहिम में हितधारकों को भागीदार बनाना।

पेयजल की निरन्तरता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंचायतों के साथ मिलकर भू-जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देना।

## महिलाओं की पहल

# दीदियों के प्रयास रंग लाये

राजू कलेश द्वारा

समर्थन संस्था द्वारा ग्राम संगठन की दीदियों के साथ अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया की सहयोगी संस्था के रूप में, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए की जा रही कोशिश के परिणाम नजर आने लगे हैं। ग्राम सभाओं में न सिर्फ पुरूषों की बल्कि महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति बताती है कि गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने हक तथा अधिकारों की बात करने और पूछने लगे हैं। इस सफलता का श्रेय ग्राम संगठन की दीदियों को जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ लोगों के मन में ग्राम सभाओं के प्रति विश्वास पैदा करने और अपने हक और अधिकारों की बात पूछने की हिम्मत पैदा की।

सोंडवा विकासखंण्ड के गाँवो में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 से 20 अगस्त 2021 तक ग्राम सभाएं आयोजित की गई। इन ग्राम सभाओं में महिला-पुरुषों ने बढ-चढ़ कर भाग लिया। लोग अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी कर अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित के मुद्दे रख सकें इसके लिए ग्राम संगठन की दीदियों ने ग्राम सभाओं के आयोजन से पहले गांव-गांव में जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को ग्राम सभाओं में जाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वर्ष 2021-22 की ग्राम विकास योजना में शामिल कार्यों के प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जो कार्य हो चुके हैं उनकी प्रगति से अवगत कराया तथा जिन कार्यों पर आने वाले समय में कार्य किया जाना है उसकी जानकारी दी गई।

ग्राम पंचायत उमरथ के सरपंच श्री मोहन ओकरसिंह ने स्थानीय भाषा में लोगों को ग्राम सभा के एजेन्डे में शामिल मुद्दों की जानकारी प्रदान की और एक-एक कर सभी मुद्दों पर चर्चा कर उपस्थित लोगों की सहमति से निर्णय लिए। वार्ड पंच श्री विनेश तथा श्री हरसिंह ने अपने-अपने वार्ड की समस्याओं की बात रखी जिसे ग्राम पंचायत सचिव रमेश ठाकराला ने आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्टर में दर्ज किया।

इसी तरह ग्राम पंचायत ओझड़ में भी युवा बबलू द्वारा पूर्व में जिन कार्यों के लिए आवेदन किए थे उनकी प्रगति के बारे में सवाल पूछा जिस पर सरपंच श्री मांगीलाल रावत तथा ग्राम पंचायत सचिव ठक्करसिंह ने कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।

इस बार की ग्राम सभाओं में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने का आदेश भी चर्चा का मुख्य विषय रहा। लोगों को बताया गया कि पंचायत द्वारा दी जाने वाली हर एक सेवा का लाभ अब उन्हें एक तय समय सीमा में मिलेगा। किस सेवा के लिए कितने दिन की समय सीमा रखी गई है, इसकी जानकारी पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।

# महिलाओं ने पूछा ग्राम पंचायत का बजट

**पंकज गुप्ता द्वारा**

कोरोना महामारी के कारण बीते डेढ़ साल में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन संभव नहीं हो सका। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में चर्चा और अनुमोदन न हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति धीमी पड़ गई। महिलाओं के भी कई मुद्दे और समस्याएं थी जिन्हें वे ग्राम सभा में रखकर समाधान चाहती थीं, लेकिन महामारी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था।

जब कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन द्वारा कोविड नियमों का पालन करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित कराने के निर्देश जारी हुए तो लोगों के मन एक आशा की में किरण जागी। ग्राम संगठन की दीदियों ने भी तारीखों की घोषणा होते ही ग्राम सभा में किन-किन मुद्दों पर बात रखनी है इसकी तैयारी शुरू कर दी। बड़वानी जिले के राजपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली 53 ग्राम पंचायतों के 79 गांवों के महिला ग्राम संगठनों ने बैठक आयोजित कर ग्राम सभा में जाने से पहले निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर ग्राम सभा में जाने की तैयारी की -

- ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना

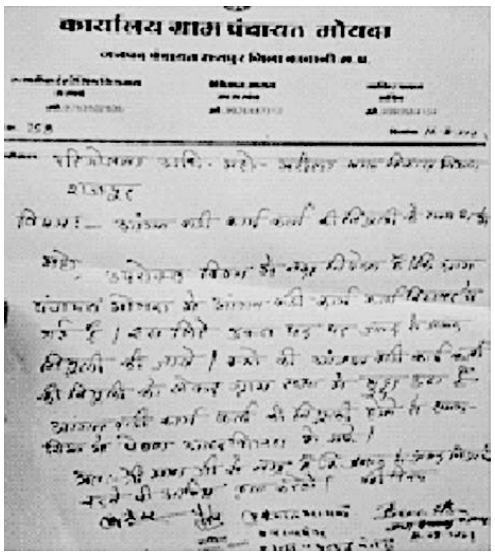
कार्यालय ग्राम पंचायत तोवदा

- ग्राम सभा में रखे जाने वाले मुद्दों की सूची तैयार करना
- किस समस्या का समाधान पहले किसका बाद में, इसकी प्राथमिकता तय करना

लोग अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा में पहुंचें इसके लिए ग्राम संगठन की दीदियों ने 43 गांवों में ग्राम सभा जागरूकता रैलियां निकाली और नारे लगाकर, लोगों को ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित किया। जिन मुद्दों को ग्राम सभा में रखा जाना था, उनकी सूची तैयार की गई। कई ग्राम संगठनों ने तो पंचायत के नाम एक पत्र तैयार कर मुद्दों और समस्याओं की सूची, ग्राम सभा को सौंपी।

जब गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ तो 20 गांवों में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 10 गांव की ग्राम सभाओं में दीदियों ने पेयजल, मनरेगा योजना में रोजगार और समय पर मजदूरी भुगतान, राशन पर्ची तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए ग्राम सभा में बात रखी तथा लिखित आवेदन किया।

- लिंबई गांव की सुलभा दीदी ने गांव में पेयजल की समस्या ग्राम सभा में रखी।
- इन्दरपुर गांव की आनन्द दीदी और अर्चना दीदी ने पानी की समस्या तथा मनरेगा योजना में रोजगार और मजदूरी भुगतान के मूद्दे पर आवाज उठाई।
- मोयदा गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए मनु दीदी और अन्य दीदियों ने ग्राम सभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा।

### दीदियों ने ग्राम सभा में निम्न मुद्दों पर पूछे सवाल

- ग्राम विकास योजना में शामिल कामों की सूची
- ग्राम विकास योजना में शामिल कार्यों की प्रगति
- इस साल ग्राम पंचायत का बजट कितना है

ग्राम सभा में जितने मुद्दों पर बात की गई उनको ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया गया और अंत में इसका वाचन भी कराया गया। ग्राम सभा की कार्यवाही का वाचन सुनने के बाद ही दीदियों ने उपस्थिति रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये।

विकासखंड के 5 गांवों की ग्राम सभाओं ने समस्याओं के समाधान पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पंचायत के लेटर हेड पर पत्र तैयार कर शीघ्र संबंधित विभाग को सौंपने की बात कही। इंद्रपुर गांव में ग्राम संगठन की दीदियों और गांव वालों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जाकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवेदन सौंपा।

# खुद टीका लगवाकर दिया संदेश

**पंकज गुप्ता द्वारा**

कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगाए जाने वाले टीकों के बारे में सरकार द्वारा अनेक माध्यमों से प्रचार-प्रसार और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा था। इसके बाद भी कई जगह अफवाहों के चलते लोग टीका लगवाने से या डर रहे थे।

बड़वानी जिले के राजपुर विकासखण्ड के ज्यादातर गांवों में भी यही स्थिति थी, लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को गंभीर बीमारी मान ही नहीं रहे थे, उनका कहना था कि यह तो मामूली सर्दी, जुकाम या खांसी की बीमारी है। समर्थन संस्था की टीम को जब इस बात की जानकारी मिली तो विकासखंड स्तर पर शासकीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर लोगों के मन से टीकाकरण के प्रति डर दूर करने और सही जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी बनीं ग्राम संगठन की दीदियां। जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे समर्पण के साथ अपना योगदान दिया।

जागरूकता के लिए साउंड सिस्टम से लैस एक जागरूकता रथ तैयार कर, विकासखंड के 98 गांवों में कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अलावा ग्राम संगठन की दीदियों की मदद से टीकाकरण जागरूकता के लिए और भी प्रयास किए गए जैसे -

- मोहल्ले वार बैठकों का आयोजन

- रात्रि चौपाल का आयोजन
- टीकाकरण के लिए घर-घर पीले चावल रख कर आमंत्रण
- व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जागरूकता संदेश

इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने में हर गांव में ग्राम संगठन की दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दीदियों ने लोगों के मन से टीकाकरण का डर खत्म करने और लोग उनकी बातों पर विश्वास कर सकें, इसके लिए सबसे पहले स्वयं ने टीका लगवाया। जब गांव वालों ने देखा कि टीका लगवाने के बाद दीदियों को हल्के बुखार के अलावा कोई समस्या नहीं हुई तो, लोग दीदियों की बात मानने लगे और धीरे-धीरे टीका लगवाने के लिए तैयार होने लगे। दीदियों ने गांव वालों को उन लोगों के उदाहरण भी दिए जो टीका लगवाने के बाद संक्रमण का शिकार हुए और बिना कोई गंभीर परेशानी के कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए। वहीं उन लोगों के उदहारण भी दिए गए जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था और कोविड-19 के संक्रमण का शिकार हुए उन्हें किस तरह गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा।

अंततःग्राम संगठन की दीदियों की मेहनत और कोशिश रंग लायी और लोग कोविड-19 से बचाव हेतु वेक्सीन का पहला डोज लगावाने के लिए आगे आने लगे। राजपुर विकासखंड के 70 गांव ऐसे हैं जहां पर वेक्सीन का पहला डोज शत-प्रतिशत लोगों को लग चुका है।

# खेल-खेल में जानकारी

### आम के आम गुठलियों के दाम

# सांप-सीढ़ी से समझें पंचायत राज व्यवस्था का महत्व

संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायतों को कानूनी दर्जा देकर अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का दायित्व सौंपा। इसके अलावा ग्राम पंचायत के सभी वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है ग्राम सभा का सदस्य मानते हुए ग्राम सभा को भी लोक सभा और विधान सभा के समान कानूनी ताकत प्रदान की। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार लोक सभा पूरे देश के हित में विधान सभा अपने-अपने राज्यों के हित में नियम, कानून बनाती हैं, ठीक वैसे ही नियम, कानून बनाने के अधिकार ग्राम सभा को दिए।

पंचायत राज व्यवस्था जिस सोच के साथ लागू की गई थी वह तभी साकार हो सकती है जब जनता द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधि और ग्राम सभा सदस्य, ग्राम पंचायत के हर काम और गतिविधियों में एक दूसरे का सहयोग करें। ग्राम पंचायत की हर समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम सभा में साथ बैठें, चर्चा करें जो उचित हो निर्णय लें। इसके लिये चुने हुए जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम सभा सदस्यों को भी पंचायत राज व्यवस्था के नियम, कायदे और प्रावधानों की जानकारी होना जरूरी हो जाता है। ग्राम सभा सदस्यों की जागरूकता से ग्राम पंचायत में होने वाले कामों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा। पंचम विकास पत्रिका के इस अंक में हम सांप-सीढ़ी खेल के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाठकों तक रोचक तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

| खाना क्र. | संदेश | खाना क्र. | संदेश |
|---|---|---|---|
| 2 | नियमित ग्राम सभा का आयोजन | 52 | समय समय पर विकास योजना की प्रगति की समीक्षा |
| 5 | ग्राम सभा की पहले से सबको सूचना | 54 | ग्राम सभा में केवल कुछ लोगों के द्वारा निर्णय |
| 8 | ग्राम सभा का पंचायत को सहयोग | 55 | लोगों की मांग पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन |
| 9 | ग्राम सभा में बहुमत से निर्णय | 59 | पंचायत की बैठकों में पंच भाग नहीं लेते |
| 14 | पंचायत में हो रहे कार्यों की निगरानी नहीं | 63 | ग्राम सभा के निर्णयों पर अमल |
| 15 | ग्राम सभा में महिलाओं की बात को महत्व | 65 | पंचायत के हर काम अमीर मोहल्ले में |
| 17 | पंचायत नियमित नहीं खुलती | 67 | पंचायत के काम का समुदाय द्वारा ऑडिट |
| 18 | ग्राम सभा में महिलाओं को बुलाना | 70 | समिति सदस्यों को भूमिका की जानकारी नहीं |
| 21 | कोरम बिना ग्राम सभा में निर्णय | 71 | महिला प्रतिनिधियों का काम पुरूषों द्वारा |
| 22 | ग्राम सभा का कोरम पूरा | 76 | पंचायत की सभी स्थायी समितियां सक्रिय |
| 24 | पंचायत बैठक में सभी पंचों की भागीदारी | 77 | हर काम का निर्णय ग्राम सभा में |
| 28 | पंचायत के पास स्वयं आय के संसाधन | 79 | पंचायत में महिला पंचों की अनदेखी |
| 30 | पंचायत का ध्यान केवल निर्माण कार्यों पर | 80 | ग्राम सभा कार्यवाही बिना पढ़े समझे हस्ताक्षर |
| 32 | योजनाओं के लाभार्थी का चयन ग्राम सभा में | 83 | योजना बनाने में महिलाओं की भागीदारी |
| 34 | योजना निर्माण में पंच शामिल नहीं | 86 | योजना बनाने में गरीब वर्ग की अनदेखी |
| 36 | सरपंच सचिव ने ही विकास योजना बना ली | 88 | पंचायत की सभी स्थायी समितियां सक्रिय |
| 39 | सरपंच द्वारा ग्राम सभा को अपनी परेशानी बताना | 89 | पंचायत ग्राम सभा को आय व्यय नहीं बताती |
| 43 | ग्राम सभा की कार्यवाही पढ़कर सुनाना | 92 | योजना बनाने में गांव वाले भागीदार नहीं |
| 44 | ग्राम सभा में सबको अपनी बात रखने का अवसर | 94 | पंचों को पंचायत के खर्चों की जानकारी नहीं |
| 46 | सरपंच सचिव द्वारा राशि का दुर्पयोग | 95 | सरपंच द्वारा बिना पढ़े, जाने चैकों पर हस्ताक्षर |
| 48 | पंचायत के कामकाज में कुछ ही पंचों की भागीदारी | 98 | विकास योजना ग्राम सभा में नहीं रखी गई |
| 50 | पंचायत के अलावा अन्य विभाग के कार्यों की निगरानी नहीं | 99 | कभी ग्राम सभा में नहीं गया |

## कैसे खेला जायेगा खेल

इस खेल को कम से कम दो और अधिक से अधिक 4 खिलाड़ी आसानी से खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं उतनी गोटी और एक डाइस की जरूरत होती है। डाइस की अलग-अलग सतह पर 1 से लेकर 6 बिंदी बनी होती है। जब कोई खिलाड़ी डाइस को रोल कर फेकता या उछालता है तो उसकी ऊपरी सतह पर जितनी बिंदी होती है, उतने अंक डाइस फेकने वाले खिलाड़ी को मिलते हैं। इस प्रकार बारी-बारी से सभी खिलाड़ी डाइस को फेकते हैं और आने वाले अंक के अनुसार अपनी गोटी को आगे बढ़ाते जाते हैं। यदि डाइस न हो तो कौंड़ियों से या इमली के बीजों को दो हिस्सों में करके जिस तरह अष्टी चंगा खेलते हैं, उपयोग कर सकते है। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं।

सांप-सीढ़ी में कुल 100 खाने हैं। इनमें से कुछ खानों में सकारात्मक या अच्छे संदेश दिये हैं, इन खानों पर पहुंचने वाला खिलाड़ी सीढ़ी चढ़कर उस खाने में पहुंच जायेगा जिस खाने में सीढ़ी खत्म हो रही है। इसी प्रकार कुछ खानों में नकारात्मक या गलत व्यवहार संबंधी संदेश दिये हुए हैं, यदि कोई खिलाड़ी इन खानों पर पहुंचता है तो उसे सांप काट लेगा तथा वह नीचे गिरकर उस खाने में आ जायेगा जिस खाने में सांप की पूंछ खत्म हो रही है। जहां पर नहीं करने वाली बात या नुकसान पहुंचाने वाली बात लिखी हुई है। इस प्रकार यह खेल चलता रहेगा और जो खिलाड़ी सबसे पहले 100 नंबर के खाने पर पहुंचता है, वह जीत जाता है।

## महत्वपूर्ण बात

इस खेल में किसी खिलाड़ी का जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विभिन्न खानों में दिये गये संदेशों को समझकर इन्हें अपने व्यवहार में उतारना। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गया या कोई व्यक्ति सांप के काटने से नीचे आ गया तो दिये गए संदेश पर गहराई से चर्चा करना, प्रश्न करना, तर्क करना बेहद जरूरी है, नहीं तो यह मात्र एक खेल बनकर रह जायेगा।

**प्रकाशन समर्थन, भोपाल :**

**सम्पादक मंडल:** पंकज पांडे, विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नेहा छावड़ा, राहुल निगम, नारायण परमार, पंकज गुप्ता, मनोहर गौर

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713